रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2016/आश्विन 28, 1938
No. 385] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2016/ASVINA 28, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

सं. ए-36024/1/2006-स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिनांक 10.8.1985 की अधिसूचना सं के- 14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो.बो. में आगे संशोधन करता है, जिसके द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव को विभिन्न नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष होने के कारण मद संख्या III क्रम संख्या 26 के अधीन धारा 22 (2) (ए) के अंतर्गत वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थी। उक्त अधिसूचना को लोकहित की आवश्यकता में 14 दिसम्बर 1987, 4 जुलाई 1991, 9 जनवरी 1997, 23 अगस्त 2006, 10 फ़रवरी 2010 तथा 15 जुलाई 2015 को समय समय पर सदस्य सचिव की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाये जाने के लिए संशोधित किया गया है जिसे दिनांक 15.06.2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 36वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

यह संशोधन दिनांक 8.7.2016 अर्थात अध्यक्ष, रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा अनुमोदित किए जाने की सूचना की तारीख से प्रभावी माना जायेगा।

निम्नलिखित संशोधन अंशकालिक सलाहकार / विशेषज्ञों और इन-हाउस परामर्शदाता की निश्चित अवधि के आधार पर नियुक्ति के लिए सदस्य सचिव को शक्तियों के प्रत्यायोजन में किये गए हैं :-

परामर्शदाताओं/ सलाहकारों/ विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना	वर्तमान शक्तियां (प्रत्येक के लिए)	संशोधित शक्तियां (प्रत्येक के लिए)
सदस्य सचिव	₹ 10 लाख तक	₹ 15 लाख तक
निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी- - सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे.यो.बो. (अध्यक्ष) - संयुक्त सचिव एवं एफ ए अथवा मुख्य लेखा नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय - शहरी विकास मंत्रालय में रा.रा.क्षे.यो.बो. से संबद्ध संयुक्त सचिव अथवा निदेशक	₹ 10 लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक	₹ 15 लाख से अधिक तथा ₹ 25 लाख तक